भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5598

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोषणवर्धित चावल

5598. श्री मारगनी भरत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पोषणवर्धित चावल वितरित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोषणवर्धित चावल की अतिरिक्त लागत केवल 60 पैसे होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय चावल के पोषणवर्धन के लिए आगे आने वाले राज्यों को यह राशि देने पर विचार कर रहा है;

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन सूक्ष्म पोषक तत्वों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मंत्रालय ने पोषणवर्धित चावल में जोड़ने का प्रस्ताव किया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा अनुमोदित "चावल के फोर्टिफिकेशन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण" संबंधी केंद्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम के तहत ग्यारह (11) राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने अपने चिह्नित जिलों में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की सूचना दी गई है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, इस पायलट स्कीम के तहत पीडीएस के माध्यम से लगभग 4.30 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया है।

(ग) से (ड.): उपर्युक्त उल्लिखित पायलट स्कीम के दौरान चावल के फोर्टिफिकेशन पर 73 पैसे प्रति किलोग्राम की इंक्रीमेंटल लागत अनुमानित की गई थी, जिसमें फोर्टिफाईड चावल कर्नेल (एफआरके) की लागत और अन्य प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं। इस इंक्रीमेंटल लागत को पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और द्विपीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10 के अनुपात में तथा शेष राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में भागीदारी की गई।

(च): भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फोर्टिफाईड चावल के उत्पादन के लिए तीन सूक्ष्म पोषक तत्व - लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 को निर्धारित किया है।

******